रोजगार शिविर में 196 बेरोजगारों का प्रारंभिक चयन किया

चूरू (निसं)। स्थानीय टाउन हॉल में रोजगार सेवा निदेशालय राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बुधवार को बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला रोजगार कार्यालय की सहायक निदेशक वर्षा जानू ने की। मुख्य अतिथि अग्रणी बैंक चूरू के जिला प्रबंधक राहुल थे।

वहीं विशिष्ट अतिथि महिला अधिकारिता विभाग की ब्लॉक सुपरवाइजर कृष्णा थी। शिविर में नियोजकों ने विभिन्न रिक्त पदों की जानकारी दी। इस रोजगार सहायता शिविर में लीडर्स सिक्योरिटी, निलेश पावर, जेबर्स इण्डिया, एनएसएसएस सिक्योरिटी, सीआईआई एमसीसी, टीसीआई लॉजिस्टिक, एके कॉलेज, आईपीपी बैंक, अम्बुजा फाउंडेशन, हेल्थ केयर हॉस्पिटल सहित अनेक कंपनियों ने साक्षात्कार के माध्यम से बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्रारम्भिक चयन किया गया। इस दौरान जिला उद्योग केन्द्र की ओर से ऋण सम्बंधी जानकारी दी गयी।

बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में उपस्थित अतिथियों ने बेरोजगार युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होने, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने व स्वरोजगार हेतु प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिला कौशल समन्वयक आरएसएलडीसी विवेक व वरिष्ठ प्रशिक्षक कमलेश ने अभ्यर्थियों से शिविर की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की।

शिविर में लगभग 350 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें 196 बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्रारम्भिक चयन किया गया। शिविर में कनिष्ठ रोजगार अधिकारी सुशीला कताला, वरिष्ठ सहायक संजय गोस्वामी, सूचना सहायक मुकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक मनीषा राठौड व श्योराम ने सहयोगी भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ सहायक संदीप न्योल ने किया।

संविधान दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रतनगढ़ (निसं)। तालुका विधिक सेवा समिति, रतनगढ़ के तत्वावधान में बुधवार 26 नवंबर 2025 को न्यायालय परिसर रतनगढ़ में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा तालुका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कौशिक ने की।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कौशिक ने उपस्थित अधिवक्ताओं एवं न्यायालय कर्मियों को संविधान के 11 मूल कर्तव्यों का सामूहिक वाचन करवाया तथा संविधान दिवस पर शपथ दिलवाई। उन्होंने संविधान के महत्व, उद्देश्य तथा नागरिकों के प्रति दायित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बार संघ अध्यक्ष मनीष शर्मा,अपर लोक अभियोजक जयाकांत बिंवाल, तालुका सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ता गौतम नाथोलिया एवं अधिवक्ता प्रमोद इंदौरिया पीएलवी जितेंद्र नाथोलिया, लक्ष्मी देवी द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी अस्पताल, न्यायालय परिसर तथा नगर पालिका क्षेत्र में आमजन को विधिक जागरूकता हेतु अभियान चलाया गया।इस दौरान लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत तथा अन्य न्यायिक सेवाओं की जानकारी दी गई।

मोबिलाइजेशन सप्ताह कर समापन आज

सीकर (निसं)। चिकित्सा विभाग द्वारा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत जिले में 27 नवंबर तक मोबिलाइजेशन सप्ताह मनाया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया कि मोबिलाइजेशन सप्ताह के अंतर्गत पुरुष नसबंदी के बारे में समाज में जागरूकता लाने, परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने एवं पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'स्वस्थ एवं खुशहाल परिवार, पुरुष सहभागिता से ही होगा यह सपना साकार'' की अवधारणा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एडिशनल सीएमएचओ डॉ हर्षल चौधरी ने बताया कि मोबिलाइजेशन सप्ताह के तहत जिले में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने क्षेत्र के योग्य दंपतियों से संपर्क कर पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता, परिवार नियोजन के उपलब्ध साधनों की जानकारी, परिवार सीमित रखने, सीमित परिवार के लाभ, प्रसव पश्चात परिवार कल्याण सेवाएं, गर्भपात पश्चात परिवार कल्याण सेवाएं, विवाह की सही आयु, विवाह के पश्चात कम से कम 2 वर्ष बाद पहला बच्चा, दो बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखने के प्रति जन जागृति हेतु वातावरण निर्माण किया जाएगा। मोबिलाइजेशन सप्ताह के अंतर्गत एएनएम और आशा सहयोगिनी के द्वारा अपने क्षेत्र के योग्य दंपतियों को पुरुष गर्भनिरोधक साधनों के लिए संवेदीकरण, चिन्हीकरण एवं पंजीयन किया जाएगा। पुरुष नसबंदी से संबंधित मिथ्याओं को दूर करने तथा परिवार पूर्ण होने पर पुरुष नसबंदी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मोबिलाइजेशन सप्ताह के अंतर्गत प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सुपरवाइजरी स्टाफ बीसीएमओ, एमओआईसी, बीपीएम, एलएचवी, ब्लॉक आशा सुपरवाइजर व पीएससी हेल्थ सुपरवाइजर द्वारा अपने क्षेत्र में दूरभाष द्वारा मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित सेवा वितरण सप्ताह में चिन्हित पुरुषों को पुरुष नसबंदी की सेवाएं प्रदान की जाएगी।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 151/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री पवन कुमार केडिया पुत्र श्री ए.एल.केडिया निवासी जी-75 इन्दिरा नगर ऑपोसिट काजला हॉस्पिटल झुंझुनूं ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत सेठी मोती लाल शिक्षण संस्थान पूर्व छात्र समिति, रानीसती रोड, झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 22.1.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 155/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री पवन कुमार केडिया पुत्र श्री अर्जुन लाल केडिया निवासी जी-71 इन्द्रा नगर नीयर बस स्टैण्ड झुंझुनूं ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत मलसीसर ऐजुकेशन एवं कल्चरल ट्रस्ट, मलसीसर, जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 22.1.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 157 (75/2023)
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी डॉ. दिलीप मोदी पुत्र स्व.श्री मथुरा प्रसाद मोदी निवासी जिवम हाउस मोदी रोड जिला झुंझुनूं ने झुंझुनूं एकेडमी समिति, झुंझुनूं एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौशाला रोड मोतीलाल कॉलेज के पीछे झुंझुनूं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.1.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 158 (74/2023)
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री आकाश मोदी पुत्र श्री दिलीप मोदी निवासी फौज का मौहल्ला ज्ञान कुटीर मोदी रोड जिला झुंझुनूं ने जीवेम एज्यूकेशन समिति जीवेम हाउस मोदी रोड जिला झुंझुनूं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.1.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 159 (73/2023)
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी डॉ. दिलीप मोदी पुत्र स्व.श्री मथुरा प्रसाद मोदी निवासी जिवम हाउस मोदी रोड जिला झुंझुनूं ने सर्वहितकारी समिति झुंझुनूं गोशाला रोड मोतीलाल कॉलेज के पीछे झुंझुनूं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.1.26
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

सार-समाचार

निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर

रतनगढ़ (निसं)। रतनगढ़ माहेश्वरी सभा ट्रस्ट , शंकरा आई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति, जयपुर व स्व. सीताराम जी चोटिया की स्मृति में 33वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का सफल आयोजन बुधवार को माहेश्वरी भवन के प्रांगण में हुआ। ट्रस्टी व शिविर प्रभारी नरेंद्र झंवर ने बताया कि शिविर में 108मरीजों की मोतियाबिंद जांच कर 53 मरीजों का चयन नेत्र लैंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया। वहां उनका ऑपरेशन गुरुवार को आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांके का किया जाएगा। मानव सेवा के इस अनूठे अभियान का शुभारंभ भगवान शंकर की प्रतिमा के आगे श्रीमती पानादेवी चोटिया, गजानन्द चोटिया, सरला चोटिया, मुरलीकिशोर सीमार, दीपाली चोटिया, आदित्य चोटिया, डॉ. शांभवी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शिविर शुभारंभ पर सरिता चांडक व एड. रजनीकांत सोनी ने शिविर के सहयोगी अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन किया। शिविर में शकरा आई हॉस्पिटल की टीम,माहेश्वरी समाज के महेश जाजू, नरेश पेडीवाल, रामोतार चांडक, नंदकिशोर माटोलिया, महेंद्र पारीक राजलदेसर, एड. कमल सोनी, महावीर रामगढ़िया,श्यामसुंदर बंशीवाल, हरिशंकर मंगलहारा, मो.अनवर कुरेशी, एड. रामोतार ठठेरा, अंकित बनसिया, राजेन्द्र चांदगोठिया, एड. देवेन्द्र चोटिया, एड. टेकचंद कटारिया, अनूप जोशी, ओम सारस्वत सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे।

संविधान दिवस का भव्य आयोजन

सीकर (निसं)। एन.एच. 52 स्थित स्वामी केशवानन्द पीजी कॉलेज भढाढर सीकर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रा कंचन, कोमल, पलक छात्र अमन आदि ने संविधान सभा द्वारा बनाये गए संविधान का विवरण प्रस्तुत किया। प्राध्यापक ओमप्रकाश सुण्डा व भीम सिंह जाट ने संविधान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। प्राचार्य ललित किशोर तंवर ने बताया कि भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 2015 से आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते आये है। इस दिन की प्रासंगिकता तभी होगी जब हम संविधान के मूल्यों को आम जन तक पहुंचायेगे। संविधान की रक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 उल्लेखित सुप्रीम कोर्ट केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस अवसर पर संस्था निदेशक रामनिवास ढाका ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन में सह निदेशक गोपाल सिंह, चेयरमैन सुरेन्द्र सिंह, विद्यालय प्रधानाचार्य डॉ विजेंद्रसिंह, नर्सिंग प्राचार्य महेश कुमावत व समस्त महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे।

व्याख्यान माला आयोजित

सीकर, (निसं)। ग्रामीण महिला महाविद्यालय शिवसिंहपुरा में संविधान दिवस के उपलक्ष में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय विधि महाविद्यालय दासा की ढाणी के प्राचार्य डॉ. दिलसुख थालोड उपस्थित रहे। डॉ. थालोड ने छात्राओं को भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया, उसकी विशेषताओं, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि अधिकारों के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग एवं उत्तरदायी बने। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद संस्थान के पदाधिकारियों, महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राओं को संविधान की शपथ दिलवाई गई।

महिला महाविद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया

नीमकाथाना (निसं)। राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय, नीमकाथाना में 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉ. मोहर सिंह मीणा ने संविधान के बारे में विस्तार से बताया तथा मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी तथा इस कार्य में जागरूक होने व सहयोग करने का आव्हान किया।

संविधान दिवस के अवसर पर ''देश की आजादी के बाद डॉ. अम्बेडकर के विचारों और सिद्धान्तों का व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वयन'' विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रो.आर.एन.शर्मा ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करवाया तथा प्रस्तावना के महत्व को रेखांकित किया।

इस कार्यक्रम में डॉ. अजीत, डॉ. संजय कुमार, डॉ. दुर्गेश पारीक, डॉ. जितेन्द्र सिंह, डॉ. सुरेश चौधरी सहित महाविद्यालय परिवार के सदस्य एवं छात्राएं उपस्थित रहे।

अधिकारों के साथ कर्तव्य बोध भी कराता है हमारा संविधान : प्रो. राय

- भारतीय संविधान नियमों की किताब नहीं, भारत की आत्मा : डॉ.बैरवा
- शेखावाटी विश्वविद्यालय में संविधान दिवस पर व्याख्यान आयोजित

सीकर (निसं)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर और राजस्थान ह्यूमन रिसॉर्स डवलपमेंट फाउंडेशन, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को संविधान दिवस पर विशेष व्याख्यान हुआ। शेखावाटी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि कॉलेज शिक्षा राजस्थान के आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश बैरवा और मुख्य वक्ता राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. इंदुशेखर तत्पुरुष थे।

अध्यक्षता शेखावाटी विवि के कुलगुरु प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार राय ने की। विवि के सहायक कुलसचिव (परीक्षा) व अकादमिक निदेशक और आरएचआरडी फाउंडेशन के सीकर जिलाध्यक्ष डॉ. आर.सी. मीना ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलसचिव श्वेता यादव, परीक्षा नियंत्रक प्रो. राजेंद्र सिंह, उपकुलसचिव (सम्बद्धता) रामसिंह सरावग, सहायक कुलसचिव (संपदा) और खेल प्रभारी कन्हैया लाल जांगिड और आरएचआरडी फाउंडेशन के महासचिव हरदयाल गौड, बाबूलाल जाखड, डॉ. रोहित बेरवाल समेत और फाउंडेशन के सदस्य और विवि के फैकल्टी मेंबर्स और कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि कॉलेज शिक्षा राजस्थान के आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं,भारत की आत्मा है। इसने समाज में आई विकृतियों को दूर किया है। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया लोगों को भ्रमित कर रहा है। डॉ. अंबेडकर ने जो संरचना दी, वह सामाजिक न्याय और समानता की आधारशिला है। वे किसी एक वर्ग के नहीं, सभी वर्गों के साथ थे।

मुख्य वक्ता राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. इंदुशेखर तत्पुरुष ने कहा कि भारतीय संविधान दुनिया के सबसे शक्तिशाली संविधानों में से एक है, क्योंकि इसकी जड़ें भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्य में गहराई तक जाती है।

डॉ इंदुशेखर ने कहा कि संविधान के प्रति जागरूकता और लोगों में चेतना विकसित होनी चाहिए। संविधान को जन-जन तक पहुंचाना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को इस विरासत को समझने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है।

शेखावाटी विवि के कुलगुरु प्रो. (डॉ.) अनिल कुमार राय अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि नागरिक कर्तव्यों का भी मार्गदर्शक है। हमारा संविधान अधिकारों के साथ कर्तव्य बोध भी कराता है। यदि युवा पीढ़ी संविधान के सिद्धांतों को समझेगी, उन्हें मानेगी और पालन करेगी तो हमारा देश और अधिक शक्तिशाली, समृद्ध और विकसित बनेगा। लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से अपनाए। कुलसचिव श्वेता यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन डॉ. रेणु महलावत ने किया।

निबंध प्रतियोगिता :- शेखावाटी विश्वविद्यालय में संविधान दिवस पर विद्यार्थियों के लिए देश की आज़ादी के बाद डॉ. अंबेडकर के सिद्धांतों और विचारों का व्यावहारिक स्तर पर क्रियान्वयन विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता संयोजक डॉ. महेश गुप्ता और डॉ बीएस राठौड थे। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

आपसी रंजिश में युवक से मारपीट

बीकानेर, (निसं)। आपसी रंजिश में युवक से मारपीट का मामला व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है। राजनगर निवासी फूसी देवी की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उसका पुत्र विकास व्यास कॉलोनी सर्किल से साइंस पार्क की ओर जा रहा था। इस दौरान नवीन गोदारा, हरिओम व अन्य एक्टिवा पर आए और विकास का फोन छीनकर मारपीट की। दांतों से काट खाया। बाद में हड़मान मूंड, गजेन्द्र मूंड ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। पूर्व में खेतपाल, नवीन, मुखराम, सचिन व गौरीशंकर ने पुत्र हर्षित के साथ भी मारपीट की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

नाबालिक को बाल श्रम से मुक्त करवाया

सीकर (निसं)। जिला प्रशासन एवं जिला टास्क फोर्स की सख़्ती से दादिया थाना पुलिस द्वारा होटल हाइवे किंग, दादिया से 14.5 वर्षीय नाबालिक को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया। यह कार्रवाई दादिया थाना पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं गायत्री सेवा संस्थान की संयुक्त पहल के तहत की गई।

कार्रवाई के दौरान दादिया थाना से बाल कल्याण अधिकारी रोहिताश कुमार, तथा जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस एवं गायत्री सेवा संस्थान की ओर से फील्ड कोऑर्डिनेटर अभिषेक बगडियां तथा जितेंद्र नाथवतपुरा सक्रिय रूप से मौजूद रहे।

रेस्क्यू किए गए बालक से प्रतिदिन 10-12 घंटे तक मजदूरी करवाई जा रही थी। रेस्क्यू के उपरांत बालक को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंकुर बहड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे कस्तूरबा सेवा संस्थान, भादवासी में अस्थाई आश्रय प्रदान किया गया। यहां सुरक्षा, भोजन एवं नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

कार्रवाई में शामिल अधिकारियों ने बताया कि दोषियों के खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम, जेजे एक्ट तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रवीण नायक नुनावत ने कहा कि जिला टास्क फोर्स का उद्देश्य केवल बच्चों को रेस्क्यू करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है। बाल श्रम के हर प्रकरण पर सख्त कार्रवाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन

सीकर, (निसं)। सरदार पटेल सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष में बुधवार को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सहकार जागृतता कार्यक्रम रहा, जिसमें जिले के दुग्ध उत्पादकों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य डॉ. कुरियन के दुग्ध उत्पादक ही मालिक के सिद्धांत तथा सहकारी अमूल मॉडल के लाभों के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाना रहा। जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण से प्रेरित है, किसानों को मजबूत सहकारी ढांचे से जोड़ने की दिशा में कार्यरत है। इस दौरान दुग्ध उत्पादकों ने अपने गांवों में ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कर से जुड़ने का संकल्प लिया, जिससे उन्हें दूध का उचित मूल्य, पशु स्वास्थ्य सेवाएं एवं तकनीकी सहायता सहित अमूल मॉडल की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में राजस्थान हैड सी.एस. राकेश फौजदार, जोनल हैड सुनील चौपडा, केंद्र प्रभारी सुधीर पूनिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

जनसुनवाई कर समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश

रतनगढ़ (निसं) भाजपा कार्यालय में मंगलवार को पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि द्वारा जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें बडी संख्या में क्षेत्रवासी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।

जन सुनवाई के दौरान लोगों ने पेयजल आपूर्ति, बिजली कटौती, सडक मरम्मत, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आवास योजनाओं तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आ रही समस्याओं से अवगत कराया।पूर्व विधायक महर्षि ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना तथा मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महर्षि ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने का सबसे बड़ा दायित्व जनता की समस्याओं को समझना और उन्हें कम करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा और भविष्य में भी इस प्रकार की जन सुनवाई नियमित रूप से आयोजित की जाएगी, ताकि आमजन को राहत मिल सके। इस अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह,बजरंग लाल गर्जर, प्रवीण शर्मा, राकेश गौड,बादल महर्षि, सुशील इंदोरिया, गोपाल महर्षि, बाबूलाल प्रजापत, नदीम चेजारा, किशन स्वामी, नरेंद्र गुढेसर, राकेश पजापत हिम्मत सिंह मलासी, राजेंद्र सिंह,जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण, व्यापारी तथा महिलाएँ उपस्थित रही।

तीन दिवसीय दीनी तब्लीगी इज्तिमा की शुरुआत

कस्बे के नेक नगर स्थित आदर्श कॉलोनी में तीन दिवसीय दीनी तब्लीगी इज्तिमा की शुरुआत हुई।

बीदासर (निसं)। कस्बे के नेक नगर स्थित आदर्श कॉलोनी में तीन दिवसीय विशाल दीनी तब्लीगी इज्तिमा की शुरुआत बुधवार को फजर की नमाज के बाद हुई। इज्तिमा शुरू होने के साथ ही जिलेभर से मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों का इज्तिमागाह पहुंचना शुरू हो गया है।

इज्तिमा के पहले दिन उलेमाओं ने दीनी मजलिस में कहां जब तक इस धरती पर एक-एक शख्स अल्लाह की इबादत करने वाला रहेगा तब तक परवरदिगार इस कायनात को सलामत रखेंगे। सभी को मौत आने से पहले आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। आखिरत की तैयारी के लिए सभी को वक्त निकालकर तब्लीग के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए। वहीं इज्तिमा को लेकर सैकड़ों वॉलिंटियर्स जगह-जगह पार्किंग, यातायात, पानी, बिजली, खाना, साफ-सफाई आदि व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। दूसरी और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास